

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (जिला): Anti Corruption Bureau, Haryana P.S. (थाना): ACB, Faridabad Year (वर्ष): 2022

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0033

Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):

10/11/2022 20:10 hrs

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	IPC 1860	120-B
2	IPC 1860	420
3	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(2)
4	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(1)d

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1 Day (दिन): Date from (दिनांक से): Date To (दिनांक तक):
Time Period (समय अवधि): Time From (समय से): Time To (समय तक):

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 10/11/2022 Time (समय): 19:42 hrs

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 010 Date and Time (दिनांक और समय): 10/11/2022 19:42 hrs

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Written

5. Place of Occurrence

(घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): SOUTH, 60 Km Beat No. (बीट सं.): (s)

(b) Address (पता): गांव वली मोहम्मदपुर होडल,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): अनिल कुमार ह0पु0से0अतिरिक्त पुलिस

(b) अधीक्षक
Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1974

(d) Nationality (राष्ट्रियता): INDIA

(e) **Passport (यूआईडी सं.):**

(f)

Date of Issue (जारी करने की दिनांक):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) **ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))**

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)
------------------	--------------------------------	--------------------------

(h) **Occupation (व्यवसाय):**(i) **Address (पता):**

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	थाना राज्य चैकसी ब्यूरो फरी0, ACB, Faridabad, Anti Corruption Bureau, Haryana, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	थाना राज्य चैकसी ब्यूरो फरी0, ACB, Faridabad, Anti Corruption Bureau, Haryana, HARYANA, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष सं.):**

Mobile (मोबाइल सं.):

7. **Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):**

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	श्री नरेश जोवल तत्कालीन नायब तहसीलदार सी0आर0ओ0			1. होडल, HODAL,PALWAL,HARYANA,IN DIA
2	श्री भगवान सिंह रजिस्ट्री कलर्क			1. होडल, HODAL,PALWAL,HARYANA,IN DIA
3	श्री ताराचन्द हल्का पटवारी			1. गांव वली मौहम्मद, HODAL,PALWAL,HARYANA,IN DIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**9. **Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):**

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. **Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):**

11.

Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)
---------------------	--------------------------------

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा में

प्रबन्धक अफसर,
थाना राज्य चैकसी ब्यूरो,
फरीदाबाद मण्डल, फरीदाबाद।

श्रीमान जी,

जांच क्रमांक नं० 02 दिनांक 08.06.2012 पलवल मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चैकसी विभाग कार्यालय के यादि क्रमांक 62/69/2010-4 चैकसी(II) दिनांक 31.05.2012 की अनुपालना मे महानिदेशक राज्य चैकसी ब्यूरो(ह०) पंचकुला कार्यालय मे दर्ज रजिस्ट्रर होकर उनके कार्यालय के पृष्ठाकन 7074/1-2/SVB(H) Date 08.06.2012 के अनुसार माननीय पंजाब एंव हरियाणा उच्च न्यायालय चण्डीगढ के CWP N0 10058/2010 और 8160/2011 के आधार पर दर्ज रजिस्ट्रर होकर पडताल हेतु इस मण्डल मे प्राप्त हुई थी जिसमें आरोप था कि:-

सी.डब्लू.पी न० 10058 ऑफ 2010 में माननीय उच्च न्यायालय पंजाब एवं हरियाणा चण्डीगढ के आदेशानुसार मैसर्स क्रिस्टल बायोटेक कम्पनी द्वारा गांव अतवा जिला पलवल की शामलात देह खरीद करने बारे जांच अमल में लाई गई थी। जिसके आधार पर मुकदमा न० 13 दिनांक 14.5.2012 धारा 420,467,468,471,120 बी भा.द.स व 13 (1) डी पी.सी एक्ट थाना राज्य चैकसी ब्यूरो (ह) गुडगांव में दर्ज रजिस्ट्रर किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त सी.डब्लू.पी व सी.डब्लू.पी न० 8160 आफ 2011 में आदेश दिये कि मैसर्स क्रिस्टल बायोटेक कम्पनी के अलावा किसी अन्य की जिला पलवल के गावों की शामलात भूमि के सम्बंध में वसिकाएं गलत पाई जावे तो उनकी भी जांच की जावे।

पडताल के दौरान प्राप्त किये गये कथनो व प्रलेखो के अवलोकन से पाया गया कि जिला पलवल के ग्राम वली मोहम्मदपुर होडल की शामलात देह की खरीद फरोख्त की गई हैं जिस सम्बन्ध में उपायुक्त पलवल द्वारा माननीय उच्च न्यायालय पंजाब एण्ड हरियाणा चण्डीगढ में CWP NO 10058 ऑफ 2010 के सम्बन्ध में अनैक्सचर आर-1 प्रस्तुत किया गया था, जिसके अनुसार जिला पलवल में 5 गांवों की शामलात देह में से कुल 208 वसिकाओं अनुसार खरीद फरोख्त करनी दर्शाई थी। जिस सम्बन्ध में अनैक्सचर आर-1 में दर्शाई गई ग्राम वली मोहम्मदपुर की वसिकाओं के सम्बन्ध में जांच अमल में लाई गई।

ग्राम वली मोहम्मदपुर होडल जिला पलवल की शामलात देह की खरीद के सम्बन्ध में पाया गया कि माननीय उच्च न्यायालय चण्डीगढ में प्रस्तुत किये गये अनैक्सचर आर-1 के अनुसार कुल 2 वसिकाओं के अनुसार ग्राम वली मोहम्मदपुर की 253.15 मरला शामलात देह की राजस्व विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों से साँठ-गाँठ करके अनुचित तरीके से बेची गई हैं, जिनका ब्यौरा निम्न प्रकार हैं:-

क्र०स०

वसीका न०

दिनांक

रकबा/कनाल/मरला

विक्रेता का नाम

क्रेता का नाम

ईन्तकाल न०

दिनांक

मन्जूर/खरिज की तिथि

1

3215

29.09.06

173.11

डाल सिंह पुत्र श्री रुपसिंह व अन्य

शक्ति स्वरूप पुत्र नवल किशोर

669

16.12.06

मन्जूर

खारिज

2

3213

29.09.06

80.4

तुहीराम पुत्र अमीचन्द व अन्य

शंकरलाल पुत्र नत्थीमल व अन्य

670

16.12.06

मन्जूर

04.05.12

खारिज

ग्राम वली मोहम्मदपुर तहसील होडल जिला पलवल का जमाबन्दी वर्ष 1999-2000 के अनुसार शामलात देह का कुल रकबा खेवट नं0 191 के खाता नं0 200 से 216 तक 753.17 मरला था, इस रकबा में से उपरोक्त 2 वसिकाओं अनुसार 253.15 मरला शामलात देह भूमी बेची जानी पाई गई हैं। पडताल के दौरान पाया गया था कि श्री मनजीत सिंह, एच0सी0एस0 तत्कालीन एस0डी0एम0 होडल को शामलात देह का गोस्वारा निकलवाने के लिये एक दरखास्त दी गई थी, जिस पर एस0डी0एम0 होडल द्वारा दरखास्त को हल्का पटवारी को मार्क करके गोस्वारा की नकल देने बारे आदेश दिये गये। जिस बारे पाया गया कि उपायुक्त पलवल पे अपने पत्र क्रमांक 1923/एस0के0, दिनांक 17.11.2012 में दर्शाया है कि लैण्ड रिकार्ड मैनुवल के पैरा नं0 3.48 की टिप्पणी नं0 4 के अनुसार प्रावधान है कि स्पेज व List of co-sharers shall not be prepared and supplied without the previous sanction of the collectors unless required in connection with a revenue, civil or criminal cases. गांव वासियों नं हल्का पटवारीसे गोस्वारा प्राप्त करने के पश्चात उक्त रकबा 2 वसिकाओं के अनुसार बेच दिया।

तालिका में वर्णित क्रेतागण/विक्रेतागण द्वारा वसीकाएं तहरीर कराने के पश्चात रजिस्ट्री पंजीकृत करवाने हेतु श्री भगवान सिंह तत्कालीन रजिस्ट्री क्लर्क होडल से सांठ गांठ करके उनकी रजिस्ट्रेशन फीस की रशीद काटकर वसीका पंजीकृत करने हेतु तहसीलदार/नायब तहसीलदार के पास भेज दिया जबकि यह रकबा शामलात देह का था और वसीकाओं के साथ संलग्न जमाबन्दी में उक्त जमीन की मालिक शामलात देह दर्शाई हुई हैं। जिसे उक्त रजिस्ट्रेशन क्लर्क द्वारा अनदेखा करके फीस काट दी।

उक्त वसिकाओं में वर्णित क्रेतागण/विक्रेतागण को अनुचित लाभ पहुंचाने की नियत से उक्त वसिकाएं पंजीकृत करने हेतु श्री नरेश जोवल, तत्कालीन नायब तहसीलदार होडल के सम्मुख पेश की गई जो उक्त नायब तहसीलदार द्वारा क्रेतागण/ विक्रेतागण के साथ सांठ-गांठ करके अनुचित तरीके से अपने पद का दुरुपयोग करते हुये तथा वसीकाओं के साथ संलग्न जमाबन्दी की अनदेखी करते हुये अपने आप को फायदा पहुंचाने के लिये उक्त वसीकाएं पंजीकृत कर दी गई।

उसके बाद क्रेतागण ने हल्का पटवारी ताराचन्द से इन्तकाल दर्ज करवाने हेतु मिले तो ताराचन्द पटवारी ने इन्तकाल दर्ज करने से मना करते हुये कहा कि पहले हिस्सा कायमी का इन्तकाल दर्ज होना जरूरी हैं, जिस पर क्रेतागण ने श्री महाबीर प्रसाद तत्कालीन एस0डी0एम0 होडल के सम्मुख शामलात देह ग्राम वली मोहम्मदपुर के हिस्से कायमी का इन्तकाल दर्ज करने बारे दी जिस पर उक्त एस0डी0एम0 ने दरखास्त पर हल्का को मार्क करते हुये छ। लिख दिया जो हल्का पटवारी ताराचन्द ने हिस्सा कायमी का इन्तकाल दर्ज कर दिया, इस सम्बन्ध में पडताल के दौरान उपायुक्त पलवल से प्राप्त रिपोर्ट से पाया कि एस0डी0एम0 द्वारा दरखास्त पर छ। लिखने से ही हल्का पटवारी शामलात देह के हिस्से कायम करके इन्तकाल दर्ज नहीं कर सकता, उसे इन्तकाल दर्ज करने से पूर्व एस0डी0एम0 से विषेश आदेश प्राप्त करने चाहिये थे परन्तु पटवारी द्वारा ऐसा कोई आदेश एस0डी0एम0 से लिये बगैर ही शामलात देह के हिस्से कायम

करके इन्तकाल दर्ज कर दिया, उसके पश्चात हल्का पटवारी ताराचन्द ने क्रेतागण से मिलीभगत करके गलत तरीके से उक्त वसिकाओं के सम्बन्ध में इन्तकाल अपने आप को व क्रेतागण को फायदा पहुँचाने की नियत से दर्ज कर दिये।

उसके पश्चात पटवारी द्वारा इन्तकाल दर्ज करने के पश्चात मुकाबला (सत्यापन) करने हेतु श्री विरेन्द्र सिंह तत्कालीन गिरदावर हल्का होडलद्वारा खरीदारों से मिलीभगत करके सावका (पुराना)रिकार्ड की अनदेखी करके क्रेतागण व अपने आप को फायदा पहुँचाने की नियत से इन्तकालों का मुकाबला (सत्यापन) कर दिया।

उसके पश्चात गिरदावर द्वारा इन्तकालों का मुकाबला (सत्यापन) करके मन्जूरी हेतु तत्कालीन सी0आर0ओ0 श्री नरेश जोवल नायब तहसीलदार होडल द्वारा भी खरीदारों से मिलीभगत करके रिकार्ड की अनदेखी अपने आप को फायदा पहुँचाने की नियत से इन्तकालों को मन्जूर कर दिया गया, जबकि ग्राम वली मोहम्मदपुर की शामलात देह के सम्बन्ध में धारा 13A PLCLA के तहत 7 केस विचाराधीन थे।

अतः जांच की पडताल के बाद ग्राम वली मोहम्मदपुर की शामलात देह का रकबा 753.17मरला में से कुल 253.15 मरला जमीन उक्त 2 वसिकाओं द्वारा खरीद फरोख्त बारे श्री नरेश जोवल, तत्कालीन नायब तहसीलदार/सी0आर0ओ0होडल, श्री भगवान सिंह रजिस्ट्री क्लर्क होडल, तथा श्री ताराचन्दहल्का पटवारी ग्राम वली मोहम्मदपुर तथा उपरोक्त तालिका में वर्णित क्रेतागण/ विक्रेतागण ग्राम वली मोहम्मदपुर के खिलाफ साथ सांठ-गांठ करके अनुचित तरीके से अपने पद का दुरुपयोग करते हुये तथा वसिकाओं के साथ संलग्न जमाबन्दी की अनदेखी के सम्बन्ध में धारा 420, 120 बी0 भा0दं0सं0 तथा 13 (1) डी0 भ्रष्टाचार अधिनियम एक्ट के तहत अभियोग अंकित करने की सिफारिश की गई थी और इसके अलावा किसी अन्य अधिकारी/कर्मचारियों व किसी अन्य व्यक्ति की संलिप्तता पाई जाती है तो उसे अभियोग की तफतीष के दौरान देख लिये जाने का सुझाव दिया गया था।

जिस पर अब मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चैकसी विभाग कार्यालय के यादि क्रमांक यादि क्रमांक 62/69/2010-4 चैकसी(II) दिनांक 12.09.2022 की अनुपालना में महानिदेशक राज्य चैकसी ब्यूरो(ह0) पंचकुला कार्यालय के पृष्ठंकन 16100/1-2/SVB (H) Dated 10.10.2022 के अनुसार उपरोक्त आरोपियान के विरुद्ध धारा 420, 120 बी0 भा0दं0सं0 तथा 13 (1) डी0 भ्रष्टाचार अधिनियम एक्ट के तहत अभियोग अंकित करने हेतु आदेश प्राप्त हुये हैं।

अतः श्री नरेश जोवल, तत्कालीन नायब तहसीलदार/सी0आर0ओ0 होडल, श्री भगवान सिंह रजिस्ट्री क्लर्क होडल, तथा श्री ताराचन्द हल्का पटवारी ग्राम वली मोहम्मदपुर तथा उपरोक्त तालिका में वर्णितक्रेतागण/ विक्रेतागण ग्राम वली मोहम्मदपुर के खिलाफधारा 420, 120 बी0 भा0दं0सं0 तथा 13 (1) (डी0), 13 (2) अपराध के समय प्रचलित कानून, भ्रष्टाचार अधिनियम एक्ट के तहत अभियोग अंकित कियाजावे।इसके अतिरिक्त किसी अन्य अधिकारी/कर्मचारी व प्राईवेट व्यक्ति की संलिप्तता पाई जावे तो उसे भी तफतीष के दौरान देख लिया जावे।अभियोग अंकित करने के लिये तहरीर को ई0एच0सी0 उधम सिंह नं0 698/पलवल के माध्यम से थाना भेजा जा रहा है। अभियोग अंकित करके नम्बर से सूचित किया जाये तथा स्पेशल रिपोर्ट डियुटी मैजिस्ट्रेट व उच्च अधिकारियों के पास नियमानुसार भिजवाई जाये। अभियोग के अनुसन्धान के लिये अन्य अनुसन्धान अधिकारी नियुक्त किया जाये। जांच के दौरान प्राप्त किया गया सम्बन्धित रिकार्ड संलग्न है। अज- कार्यालय, राज्य चौकसी ब्यूरो, गांव मिर्जापुर सै0 74 समुदायिक भवन फरीदाबाद । SD. (अनिल कुमार) ह0पु0से0,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक थाना राज्य चैकसी ब्यूरो फरीदाबाद मण्डल, फरीदाबाद Dt. 10.11.2022 अज थाना :- हस्ब आमद तहरीर कायमी मुकदमा नं0 33 दिनांक 10.11.2022 धारा 420,120बी0 भा0दं0सं0 व 13(1)(डी0),13(2) भ्रष्टाचार अधिनियम PS SVB FBD में दर्ज रजि0 किया जाकर FIR कि प्रतिया CCTNS कम्प्यूटर द्वारा तैयार कि जाकर मुकदमा हजा की स्पेशल रिपोर्ट EHC उधम सिंह नं0 698/पलवल के ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब वा अफसरान बालान को भिजवाई जाये नकल मिशल पुलिस मय असल तहरीर हवाले I/O DSP मीना कुमार के की जायेगी नोट:- यह मुकदमा निरीक्षक राजकुमार की हाजरी में दर्ज रजि0 किया गया है ।

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.**

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

- (1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)**

- (2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): Meena Kumari Rank (पद): Dy. SP (Deputy Superintendent of Police)
 No. (सं.): INPS to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

- (3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)

- (4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):
 on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
 (आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station
 (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान)

Name (नाम): Abhishek Jorwal
 Rank (पद): SP (Superintendent of Police)
 No. (सं.): IPS

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Error: Subreport could not be shown.

